संख्या-8/2015/1/3/96-का-4-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 06 अगस्त, 2015

विषयः-सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में स्पष्ट व्यवस्था है कि स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण सत्र समाप्त होने के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के सम्बन्ध में मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपरोक्त व्यवस्था के विपरीत स्थानान्तरण सत्र समाप्त होने के बाद भी मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अधिकारियों को मुख्यालय से सम्बद्ध कर लिया जाता है। यह कृत्य वर्ष 2015-16 के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में निहित प्राविधानों के विपरीत है।

2. उक्त के क्रम में यह अपेक्षा की जाती है कि समूह 'क' के कार्मिकों को केवल अपवादस्वरूप ही मुख्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा। जहां इन्हें सम्बद्ध करना आवश्यक है, ऐसे प्रकरणों में इन्हें सम्बद्ध करने के पूर्व मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in